# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 118/2019

1. नानगा पुत्र दुर्जन जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डल तहसील दौसा जिला दौसा राज0।
...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल।
...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 15.01.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम नानगा मु0नं0 468/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 29.12.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल ने दिनाक 15.01.2019 को ग्राम कुण्डल तहसील दौसा के आ0ख0 18/2287 रकबा 0.15 है0 एवं खसरा नं0 18 रकबा 0.15 है0 कुल किता 02 रकबा 0.30 है0 किस्म चरागाह पर संवत 2075 फसल रबी में गेहूं व काचनी बुवाई कर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नही दिया गया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट मे अंकित नहीं किया है कि अपीलांट ने कौनसी फसल काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति मे निर्णय दिया पारित किया है। जिसकी अपीलांट को जानकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के प्रतिकूल है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील पर अपीलांट के पुत्र के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चारागाह भूमि पर गेहू व काचनी की फसल बुआई करना अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक की जांच अंकित है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2019 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official